

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेशा राजस्व मण्डल केम्प रीवा ४०९०

10

11
5/1/13



C-5-201-

R-896-III/13

१।१ शिवकुमार शर्मा तनय श्री रामानुज शर्मा

१।२ रामसुखील शर्मा तनय श्री रामानुज शर्मा

अधिवक्ता श्री अनिता व
यदुवेदी द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 05-01-13

दोनों निवासी ग्राम छजूडा छुई तहसील - गुड, जिला रीवा

मध्यप्रदेश

आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश
राजस्व मण्डल
रीवा

१।१ शासन मध्यप्रदेश

१।२ मोहनलाल शर्मा तनय श्री रामसजीवन अजो निवासी अनन्तपुर

तहसील हजूर जिला रीवा ४०९० अनावेदकगण

27-2-13

निगरानी बिरुद्ध आजा श्री तहसीलदार तहसील
गुड, जिला रीवा ४०९० बावत राजस्व प्रकरण
क्रमांक 736 अ/2012-2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०९० भू-राजस्व
संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

१।१ यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के
विपरीत है। निरन्तर प्रग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 896-तीन/2013 निगरानी

जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-18	<p>आवेदकगण की ओर से श्री अभिताम चतुर्वेदी एवं अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से श्री शिवप्रसाद द्विवेदी अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6 अ-6-अ /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-11-2012 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से तहसीलदार गुढ़ के समक्ष ग्राम खुजहा खुर्द की भूमि सर्वे क्रमांक 391/2 ख रकबा 0.464 है. का नक्शा तरमीम स्वीकार किया गया है।</p> <p>2/ राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में प्रचलित निगरानी प्रकरण क्रमांक 2961/तीन/2013 भी इसी भूमि के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कार्यवाही पर आधारित है, जिसमें तहसीलदार गुढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 5 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2013 से राजस्व निरीक्षक को निर्देश देकर उनके द्वारा इसी भूमि के सीमांकन एवं नक्शा दुरुस्ती प्रस्ताव को अमान्य करते हुये समस्त मेढ़िया कास्ताकारों के समक्ष सीमांकन उपरांत नक्शा तरमीम के पुर्नप्रस्ताव चाहे हैं जिसके कारण तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6 अ-6-अ /2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-11-2012 शून्यवत् है। तदनुसार राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2961/तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक इस प्रकरण पर भी लागू रहेगा। तदनुसार निगरानी ऑंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।</p>	<p>सदस्य</p>